



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 06.07.2024

थाना धामपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की 02 मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

सक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.05.2024 को वादी श्री अकबर पुत्र फुरकान निवासी ग्राम सदाफल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 25.05.2024 को अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटर साइकिल हीरो स्पलेण्डर UP20AM0320 चोरी कर ली गयी । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 246/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण रूपचन्द पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम हिदायतपुर चौहडवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर व 2.गोपी पुत्र अमरजीत निवासी कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वाहन चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.07.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रूपचन्द पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम हिदायतपुर चौहडवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशादेही पर चोरी की गयी 02 मोटरसाइकिल 1.थाना धामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 246/24 धारा 379 भादवि से सम्बंधित मोटर साइकिल हीरो स्पलेण्डर UP20AM0320 एवं 2.थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) पर पंजीकृत मु0अ0सं0 340/2024 धारा 379 भादवि से सम्बंधित मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर बरामद की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रूपचन्द पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम हिदायतपुर चौहडवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी की गयी 02 मोटर साइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 श्री साजिद अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.उ0नि0 प्रशिक्षु अन्नू कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.हे0कां0 722 रजनेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 5.कां0 1867 अमित कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 06.07.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.07.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अकरम पुत्र शाहिद निवासी ग्राम चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 623/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम अकरम उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

अकरम पुत्र शाहिद निवासी ग्राम चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध चाकू ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अकरम उपरोक्त:-

मु0अ0सं0 623/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

मु0अ0सं0 244/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1319 अर्पीत थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

3. का0 2041 राजीव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना रेहड

दिनांक- 06.07.2024

थाना रेहड पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 86/2024 धारा 65(1)/89/351(2)/351(3) बी0एन0एस0 तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.07.2024 को वादी द्वारा थाना रेहड पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त अमरीक सिंह पुत्र बीरा सिंह निवासी ग्राम कल्लूवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत काम किया गया व उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 86/2024 धारा 65(1)/89/351(2)/351(3) बी0एन0एस0 तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.07.2024 को थाना रेहड पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अमरीक सिंह पुत्र बीरा सिंह निवासी ग्राम कल्लूवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमरीक सिंह पुत्र बीरा सिंह निवासी ग्राम कल्लूवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक धीरज सिंह सोलंकी थाना रेहड जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 रहीशपाल सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 227 श्यामवीर सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर ।
4. का0 275 अम्बुल कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर ।





BIJNOR POLICE



माह जून – 2024

माह जून – 2024 में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली – जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर व जनपद के 17 थानों को प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

कार्यवाही –

शासन द्वारा संचालित जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में प्रदेश स्तर पर मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गयी है। पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (आईजीआरएस) के निकट पर्यवेक्षण में जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी कार्यालय/थानों पर प्राप्त जनशिकायतों का गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण किया गया, जिसके फलस्वरूप शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर निर्धारित की जाने वाली रैंकिंग में **माह जून – 2024 में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर व जनपद के 17 थानों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।** उक्त रैंकिंग प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण, शिकायतकर्ता/आवेदक द्वारा दिये गये फीडबैक, प्रार्थना पत्रों की ऑनलाइन फीडिंग आदि मानको के आधार पर दी जाती है।

पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद बिजनौर द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले थाना प्रभारियों व आईजीआरएस शाखा में नियुक्त अधि०/कर्म०गणों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

| क्र० सं० | थाना | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिशत | रैंक |
|----------|-----------------------|----------|------------|---------|------|
| 1 | नजीबाबाद | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 2 | नूरपुर | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 3 | मंडावर | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 4 | कोतवाली देहात | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 5 | किरतपुर | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 6 | हल्दौर | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 7 | नहतौर | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 8 | नगीना | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 9 | अफजलगढ़ | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 10 | हीमपुर दीपा | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 11 | मंडावली | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 12 | शेरकोट | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 13 | नांगल | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 14 | महिला थाना, बिजनौर | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 15 | रेहड़ | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 16 | धामपुर | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 17 | कोतवाली शहर | 90 | 90 | 100 % | 1 |
| 18 | स्योहारा | 90 | 89 | 98.89 % | 1142 |
| 19 | नगीना देहात | 90 | 88 | 97.78 % | 1256 |
| 20 | चांदपुर | 90 | 88 | 97.78% | 1256 |
| 21 | शिवालाकलां | 90 | 85 | 94.44% | 1401 |
| 22 | बढापुर | 90 | 84 | 93.33% | 1422 |



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शेरकोट

दिनांक- 06.07.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 145/24 धारा 420/504/506/354(घ)/376(2)(n) भादवि व धारा 67 आई0 टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.07.2024 को वादिनी ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि अभियुक्त फारूख मलिक पुत्र बुन्दू खां निवासी ग्राम चुचैला थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा द्वारा वादिनी के साथ गलत कार्य किया गया व गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा वादिनी के आपत्तिजनक फोटो/वीडियो अन्य व्यक्ति के मोबाइल पर भेजे गए तथा सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई ।

तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 145/24 धारा 420/504/506/354(घ)/376(2)(n) भादवि व धारा 67 आई0 टी0 एक्ट बनाम फारूख उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फारूख मलिक पुत्र बुन्दू खां निवासी ग्राम चुचैला थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फारूख मलिक पुत्र बुन्दू खां निवासी स्टेशन रोड हरथला सोनकर थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादबाद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. निरीक्षक श्रीमती शर्मिला शर्मा कार्यालय, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ ।
2. उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
2. का0 979 सचिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
3. का0 2426 शक्तिराम थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मण्डावर

दिनांक- 06.07.2024

थाना मण्डावर पुलिस ने मु0अ0सं0 200/24 धारा 115(2)/352/351(2)(3)/109 बीएनएस0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.07.2024 को वादी ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रितिक उर्फ पच्चा पुत्र कुशलपाल, 2.तनिश पुत्र सतेन्द्र, 3.निशांत निवासीगण ग्राम तिमरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर व 4.वंश निवासी ग्राम केवलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा वादी तथा वादी की माता व भाई के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डन्डो से मारपीट की गई तथा अभियुक्त रितिक उर्फ पच्चा उपरोक्त द्वारा वादी के उपर जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर किया गया जिसमें वादी बाल-बाल बच गया । तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 200/24 धारा 115/(2)/352/351(2)(3)/109 बीएनएस0 बनाम रितिक उर्फ पच्चा सहित 04 अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मण्डावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण रितिक उर्फ पच्चा पुत्र कुशलपाल व 2.तनिश पुत्र सतेन्द्र निवासीगण ग्राम तिमरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त रितिक उर्फ पच्चा से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा 315 बोर बरामद किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.रितिक उर्फ पच्चा पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम तिमरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
- 2.तनिश पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम तिमरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रितिक उर्फ पच्चा उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 307/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 334/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 333/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 412/23 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 420/23 धारा 307/323/504 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
6. मु0अ0सं0 423/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 200/24 धारा 115(2)/352/351(2)(3)/109 बीएनएस0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तनिश उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 200/24 धारा 115(2)/352/351(2)(3)/109 बीएनएस0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
2. का0 78 भगत सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1386 अंकुश सरोहा थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ़

दिनांक- 06.07.2024

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 224/2024 धारा 498ए/307/323/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना अफजलगढ़ पर तहरीर दी गयी कि वादिनी से उसके ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग की गयी तथा मांग पूरी न होने पर वादिनी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 224/2024 धारा 498ए/307/323/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1. दीपक कुमार 2. रोशनलाल 3. सुमंत्रा 4. विशाखा 5. मोहित 6. भूकन सिंह निवासी गण ग्राम लोंगीकला थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.07.2024 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों रोशन लाल पुत्र स्व0 मल्लाह व मोहित पुत्र रोशन लाल निवासी गण ग्राम लोंगीकला थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. रोशनलाल पुत्र स्व0 मल्लाह निवासी ग्राम लोंगीकला थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ।
2. मोहित पुत्र रोशन लाल निवासी ग्राम लोंगीकला थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 हरवीर सिंह थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 शिवा थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 153 बृजमोहन सिंह थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ।
4. म0का0 2418 प्रियंका थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 06.07.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 340/2024 धारा 2(b)(1)(2) / 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम से सम्बंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक, थाना चांदपुर द्वारा अभियुक्तगण 1-प्रदीप कुमार पुत्र वीर सिंह 2-रोहित पुत्र वीर सिंह निवासीगण ग्राम हाशमपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के विरुद्ध अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर धोखाधड़ी करके शराब के पक्वो पर कूटरचित लेबल लगाकर अवैध शराब विक्रय करने जैसे अपराधिक कृत्य कारित किये जाने के सम्बंध में थाना



चांदपुर पर मु0अ0सं0 340/24 धारा 2(b)(1)(2) / 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत कराया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 340/2024 धारा 2(b)(1)(2) / 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तगण 1-प्रदीप कुमार पुत्र वीर सिंह 2-रोहित पुत्र वीर सिंह निवासीगण ग्राम हाशमपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

प्रदीप कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम हाशमपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
रोहित पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम हाशमपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त प्रदीप का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 125/2016 धारा 307/420 भादवि0 व 60 आबकारी अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 126/2016 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 242/2016 धारा 3(1) गैग स्टर एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 817/2019 धारा 147/148/307/452/504/506 भादवि0 थाना चादपुर जनपद बिजनौर ।
5. मु0अं0सं0 674/2023 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर जनपद बिजनौर ।
6. मु0अ0सं0 670/2023 धारा 419/420/467/468 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।

7.मु0अ0सं0 340/2024 धारा 2(b)(1)(2) / 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त रोहित का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 817/2019 धारा 147/148/307/452/504/506 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 172/2020 धारा 323/324/325/452/504/506 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 670/2023 धारा 419/420/467/468 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 674/2023 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 340/2024 धारा 2(b)(1)(2) / 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. कां0 1095 गजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. कां0 865 धन सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. कां0 2290 सागर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक – 06.07.2024

थाना शेरकोट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/24 धारा 87 बी0एन0एस0 में स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही के सम्बंध में ।

दिनांक 04.07.2024 को वादी द्वारा थाना शेरकोट पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 03.07.2024 को प्रातः करीब 10 बजे वादी की पुत्री (उम्र करीब 20 वर्ष) कॉलेज जाने के लिये कहकर घर से गयी थी। वादी की पुत्री को उसका पूर्व से परिचित मौ0 कैफ पुत्र जाहिद निवासी ग्राम पालकी ऐमन थाना शेरकोट जनपद बिजनौर बहला – फुसलाकर अपने साथ ले गया। तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 143/24 धारा 87 बी0एन0एस0 बनाम मौ0 कैफ उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। अपहृता की बरामदगी एवं अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना बढापुर

दिनांक 06.07.2024

थाना बढापुर पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.07.2024 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों 1.ओमदास पुत्र बुद्धू 2.रामपाल पुत्र तेजा 3.धर्मपाल पुत्र लाला उर्फ लाल सिंह निवासीगण ग्राम जहानाबाद थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1.ओमदास पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम जहानाबाद थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 2.रामपाल पुत्र तेजा निवासी ग्राम जहानाबाद थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 3.धर्मपाल पुत्र लाला उर्फ लाल सिंह निवासी ग्राम जहानाबाद थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 3.है0कां0 354 श्री हरेन्द्र मलिक थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4. हे0का0 812 श्री सुमित पंवार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 5.का0 165 पंकज कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर